

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002062016

दांडिक प्रकरण क.-311/16

संस्थापित दिनांक-03.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
01-नरेश उर्फ रामनरेश यादव पुत्र वृंदावन यादव उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम टीला बहादुरपुर, हाल मातामढ मोहल्ला चंदेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।आरोपी
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 01.08.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323—दो शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी सविता ने दिनांक 19.09.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब फरियादिया दोपहर 12 बजे करीब कपूर तेली की दुकान के पास गली में पहुंची तो पीछे से एक लडका नरेश यादव शराब पीकर आया, तो वह उसे देखकर अलग हो गई तो नरेश ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला कि कहां जा रही है, इधन आ जा। उसके हाथ की चूड़ियां टूट गई, वह चिल्लाई तो नरेश ने उसे तीन—चार चांटे गाल में मार दिए। उसे बचाने गांव की प्रभाबाई आई तो नरेश ने पत्थर उठाकर प्रभाबाई के माथे पर मार दिया जिससे उसे चोट आ गई और खून निकल आया। गांव के लोगों ने उनका बीच बचाव किया तब वह वहां से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 374/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 एवं 323—दो शीर्ष के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.09.2015 को समय दिन 12.00 बजे ग्राम पाडरी कपूर तेली की दुकान के सामने गली पर फरियादिया सविता जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सविता, अ.सा. 02 प्रभाबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 सविता ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसकी आरोपी से कहासुनी एवं झगडा हो गया था तथा आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच कर दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकडा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ. सा. 02 प्रभाबाई ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादिया का हाथ पकडा था। उक्त साक्षी ने भी पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)